संख्याः 117/ई-1/तेरह-2023-18/2017टी.सी.

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी,

अपर मुख्य सचिव,

उ.प्र. शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उ.प्र., प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांकः** 13 **जून, 2023**

विषय- आबकारी विभाग में सेवाकाल में मृत उत्तर प्रदेश सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के प्राविधानों के अधीन मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति किये जाने वाले कर्मियों से टंकण/कम्प्यूटर कार्य कराये जाने के दृष्टिगत अनिवार्य अर्हता के रूप में कम्प्यूटर टंकण की योग्यता एवं कार्य संचालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आबकारी विभाग के कर्मियों के सम्बन्ध में भी उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के प्राविधान लागू हैं। उक्त नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत, किसी कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की दशा में अनुकम्पा नियुक्ति के रूप में उसके विधिक आश्रितों में से किसी एक व्यक्ति को उसकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन प्रदान किया जाता है। इस सम्बन्ध में उ.प्र. सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (तेरहवाँ संशोधन) नियमावली, 2022 के नियम 5 (एक) में निम्नवत् प्रावधान हैः-

"परन्तु यह कि यदि नियुक्ति किसी ऐसे पद पर की जाती है जिसके लिए टंकण को एक अनिवार्य अर्हता के रूपमें विहित किया है, और मृत सरकारी सेवक के आश्रित के पास टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं है, तो उसे इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जाएगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति प्राप्त कर लेगा और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि रोक ली जाएगी और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने के लिए उसे अग्रेतर एक वर्ष की अवधि प्रदान की जाएगी और यदि बतायी गयी अवधि में भी वह टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने में विफल रहता है तो उसे चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रदान करने का आदेश जारी किया जायेगा। इस प्रकार प्रदान की गयी नियुक्ति प्रतिवर्तन न होकर नई नियुक्ति समझी जायेगी। यदि वह नियत समय के भीतर चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी,

परन्तु यह और कि, किसी ऐसे पद पर नियुक्ति किये जाने की दशा में, जिसके लिए कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण एक अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित की गयी है और मृत सरकारी सेवक का आश्रित कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं रखता है, तो उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्त कर लिया जाएगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रचालन में डी.ओ.ए.सी.सी. सोसायटी द्वारा प्रदत्त "सीसीसी प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी प्रमाण पत्र के साथ-साथ टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति प्राप्त कर लेगा, और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि रोक ली जाएगी, और कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने के लिए उसे एक वर्ष की अग्रेतर अवधि प्रदान की जाएगी, और यदि बढायी गयी अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने में विफल रहता है तो चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने का आदेश जारी किया जायेगा। इस प्रकार प्रदान की नियुक्ति प्रतिवर्तन न होकर नई नियुक्ति समझी जायेगी। यदि वह नियत समय के भीतर चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।"

2. इस सम्बन्ध में विभाग स्तर पर की गयी समीक्षा तथा मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त कार्यरत कर्मियों की टंकण / कम्प्यूटर संचालन के ज्ञान एवं कार्य दक्षता की समीक्षा किये जाने पर यह तथ्य प्रकाश में आया है कि मृतक आश्रित नियुक्ति के प्रकरणों में नियमावली की उक्त व्यवस्था का अनुसरण न किये जाने के कारण मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त कार्मिकों द्वारा निर्धारित अर्हता पूर्ण न किये जाने की स्थिति में जहां एक ओर कार्यालय का टंकण एवं कम्प्यूटर संचालन का कार्य प्रभावित होता है, वहीं दूसरी ओर उपलब्ध मानव संसाधन की दक्षता का समन्वित उपयोग नहीं हो पा रहा है। यह स्थिति उपरोक्त प्राविधानों के अनुरूप नहीं है तथा नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में आती है।

3. अतः इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 (यथासंशोधित) में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत अनुकम्पा आधार पर भविष्य में की जाने वाली नियुक्तियों तथा पूर्व में की गयी नियुक्तियों के क्रम में वर्तमान में विभाग में कार्यरत/सेवायोजित कर्मियों की कार्य दक्षता को बनाये रखने एवं कम्प्यूटर टंकण / संचालन की योग्यता सुनिश्चित करने हेतु मानव संसाधन के समुचित व समन्वित उपयोग किये जाने के दृष्टिगत निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही एवं अनुपालन क्रमशः नियुक्ति प्राधिकारी एवं सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष के स्तर से सुनिश्चित करायी जाय:-

(1) मृतक आश्रित नियुक्ति के समय उ.प्र. सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (तेरहवाँ संशोधन) नियमावली, 2022 के नियम-5 (एक) में दी गयी उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत टंकण / कम्प्यूटर परिचालन की अनिवार्य अर्हता के पद पर नियुक्ति करते समय प्रथमतया टंकण कम्प्यूटर परिचालन की अर्हता को अवश्य

संज्ञानित किया जाय तथा 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाय।

(2) नियुक्ति के समय यदि आवेदक/ वारिस, टंकण/कम्प्यूटर परिचालन की अनिवार्य अर्हता पूर्ण नहीं कर रहा है, तो नियुक्ति आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि नियुक्ति तिथि से छः माह के अन्दर टंकण/कम्प्यूटर परिचालन की अनिवार्य अर्हता पूर्ण करनी होगी।

(3) उक्तानुसार दी गयी छः माह की समय सीमा के अन्दर, यदि मृतक आश्रित नियुक्त कार्मिक द्वारा टंकण/कम्प्यूटर परिचालन की दक्षता का प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो उसे इस आशय की नोटिस निर्गत की जाय कि आगामी छः माह अर्थात् नियुक्ति आदेश जारी होने के एक वर्ष में भी यदि उसके द्वारा टंकण/कम्प्यूटर परिचालन की अर्हता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उसकी देय वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी जायेगी।

(4) एक वर्ष की समयावधि में यदि मृतक आश्रित कार्मिक टंकण/कम्प्यूटर परिचालन की दक्षता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है, तो उपर्युक्तानुसार निर्गत नोटिस के क्रम में उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी जाय।

(5) यदि मृतक आश्रित नियुक्त कार्मिक नियुक्ति की तिथि से 18 माह पूर्ण होने पर भी टंकण / कम्प्यूटर परिचालन की दक्षता पूर्ण करने के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराता है, तो उसे पुनः नोटिस निर्गत की जाय कि उसके द्वारा टंकण / कम्प्यूटर परिचालन की निर्धारित अर्हता का प्रमाण-पत्र अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि उसके द्वारा नियुक्ति आदेश निर्गमन के 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने से पूर्व टंकण /कम्प्यूटर परिचालन की अनिवार्य अर्हता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उसे कार्मिक विभाग के उपरिवर्णित नवीन शासनादेश दिनाँक 27-12-2022 के प्रावधानों के तहत चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रदान करने का आदेश जारी किया जायेगा। इस प्रकार प्रदान की गयी नियुक्ति प्रतिवर्तन न होकर नई नियुक्ति समझी जायेगी। यदि वह नियत समय के भीतर चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।

(6) यदि परिवीक्षा अवधि 02 वर्ष पूर्ण होने पर भी मृतक आश्रित कार्मिक द्वारा टंकण/कम्प्यूटर परिचालन की अनिवार्य अर्हता का प्रमाण-पत्र सक्षम स्तर को प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उसका स्थायीकरण न कर निर्गत नोटिस के क्रम में उसे चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रदान करने का आदेश जारी किया जायेगा। इस प्रकार प्रदान की गयी नियुक्ति प्रतिवर्तन न होकर नई नियुक्ति समझी जायेगी। यदि वह नियत समय के भीतर चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।

(7) जिन नियुक्ति प्राधिकारियों के स्तर पर उ.प्र. सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (तेरहवाँ संशोधन) नियमावली, 2022 के नियम 5 (एक) में दी

गयी व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित 02 वर्ष की समय सीमा के उपरान्त भी मृतक आश्रित कार्मिक द्वारा टंकण / कम्प्यूटर परिचालन की अनिवार्य अर्हता का प्रमाण-पत्र अब तक भी प्रस्तुत नहीं किया गया है अथवा नियोक्ता अधिकारी द्वारा कार्मिक की टंकण कम्प्यूटर परिचालन की दक्षता का मूल्यांकन दो वर्ष के उपरान्त भी नहीं कराया गया है, तो सम्बन्धित कार्मिकों को टंकण / कम्प्यूटर परिचालन की निर्धारित अर्हता पूर्ण करने हेतु छः माह का अतिरिक्त समय प्रदान करते हुए नोटिस निर्गत की जाय कि यदि उक्तानुसार दी गयी समयावधि के अन्तर्गत टंकण / कम्प्यूटर परिचालन की अनिवार्य अर्हता का प्रमाण-पत्र उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उसे चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रदान करने का आदेश जारी किया जायेगा। इस प्रकार प्रदान की गयी नियुक्ति प्रतिवर्तन न होकर नई नियुक्ति समझी जायेगी। यदि वह नियत समय के भीतर चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।

(8) उपरोक्तानुसार दी गयी छः माह की समय सीमा पूर्ण होने के एक सप्ताह के अन्दर टंकण / कम्प्यूटर परिचालन की अर्हता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में, यदि मृतक आश्रित नियुक्त कार्मिक असफल रहता है, तो निर्गत नोटिस के क्रम में नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए उसे चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रदान करने का आदेश जारी किया जायेगा। इस प्रकार प्रदान की गयी नियुक्ति प्रतिवर्तन न होकर नई नियुक्ति समझी जायेगी। यदि वह नियत समय के भीतर चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।

इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रचलित नियमों में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन एवं उसके उद्देश्य की पूर्ति हेतु शासकीय कार्यहित में दिये जा रहे उपरोक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने एवं अनुश्रवण/समीक्षा भी किये जाने की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। तद्क्रम में अपने स्तर से भी विभाग में नियुक्ति प्राधिकारियों एवं पर्यवेक्षकीय अधिकारियों को इस आशय के निर्देश निर्गत कर दिया जाय कि उनके स्तर से उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही की जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी उनकी होगी।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कडाई से अनुपालन एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
अपर मुख्य सचिव

संख्याः117] (1)/ई-1/तेरह-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन।

2. अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन), उ.प्र., प्रयागराज।
3. समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन्स /उप आबकारी आयुक्त, प्रभार/सहायक आबकारी आयुक्त, जनपद। (द्वारा-आबकारी आयुक्त)
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव